राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 747/2024

दिनेश कुमार बैरवा —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
3. जिला कलक्टर, जयपुर।
4. तहसीलदार, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
5. भाग चन्द मीना, भू–अभिलेख निरीक्षक, जिला केकड़ी।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.02.2024
आदेश की दिनांक : 03.05.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री देवेन्द्र सोलंकी, अभिभाषक
प्रत्यर्थी संख्या–5 की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

समक्षः– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील स्टे वेकेशन प्रार्थना–पत्र पर सुनवाई हेतु नियत थी, परन्तु सभी पक्षों की स्वीकृति से प्रकरण पर अंतिम रूप से बहस सुनी गई।

अपीलार्थी द्वारा दायर अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर वृत्त फाल्यावास तहसील बस्सी जिला जयपुर में पदस्थापित है। प्रत्यर्थी विभाग के आलौच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान वृत फालियावास तहसील बस्सी जिला जयपुर में कर दिया गया। उक्त आदेश की पालना में निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 को दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–2) द्वारा कार्यमुक्त किया गया। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति पटवारी के पद पर वर्ष 2007 में हुई थी। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 02.12.2021 (अनुलग्नक–3) द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक (गिरदावर) के पद पर पदोन्नत किया गया तथा आदेश दिनांक 16.12.2021 (अनुलग्नक–4) द्वारा अपीलार्थी को जिला जयपुर आवंटित किया गया। आदेश दिनांक 20.01.2023 (अनुलग्नक–5) द्वारा अपीलार्थी को फाल्यावास बस्सी में स्थानान्तरित कर दिया गया और उसे प्रभार दिया गया। आलौच्य आदेश में अपीलार्थी का कहीं स्थानान्तरण/पदस्थापन नहीं किया गया है। अतः उक्त पद रिक्त नहीं होने से निजी प्रत्यर्थी का पदस्थापन नियम विरूद्ध है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त नहीं किया जावे एवं प्रकरण में अधिकरण के आदेश दिनांक 11.03.2024 द्वारा अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किया कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 22.02.2024 की पालना में अधिकरण के आगामी आदेश तक कार्यमुक्त नहीं किया जावे।

निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आदेश दिनांक 22.02.2024 द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 का पदस्थापन भू अभिलेख निरीक्षक जिला केकडी से भू अभिलेख निरीक्षक फालियावास, तहसील बस्सी जिला जयपुर में किया गया। उक्त स्थानान्तरण आदेश से अपीलार्थी का कहीं भी स्थानान्तरण नहीं किया गया है। अपीलार्थी ने उक्त अपील बिना किसी स्थानान्तरण आदेश के प्रस्तुत की है तथा अपीलार्थी के पदस्थापन के संबंध में आदेश पारित होना शेष है। अपील प्रीम्चयोर है। निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 को आदेश दिनांक 22.02.2024 की पालना में जिला कलक्ट्रेट, जयपुर में कार्यग्रहण करवा रखा है। जब तक अपीलार्थी का सक्षम अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है तब तक ना तो अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया गया है और ना ही अपीलार्थी का कोई आदेश पारित हुआ है। पटवारी के पद पर पूर्व में अपीलार्थी बस्सी में ही कार्यरत था तथा दिसम्बर 2021 के पश्चात पदोन्नत होने के पर भी जिला बस्सी में ही कार्यरत है। अपीलार्थी का एक ही जगह पद पदस्थापित रहने का अधिकार नहीं है। निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 का सक्षम अधिकारी द्वारा विधिनुसार पदस्थापन किया है। अतः स्थगन आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।

निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 द्वारा अन्तरिम आदेश को निरस्त करने हेतु जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने अपील आदेश दिनांक 22.02.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा उत्तरदाता का पदस्थापन भू अभिलेख निरीक्षक जिला केकड़ी से भू अभिलेख निरीक्षक फालियावास, तहसील बस्सी जिला जयपुर में किया गया है। जिसमें माननीय अधिकरण ने दिनांक 11.03.2024 को अपीलार्थी को बिना स्थानान्तरण आदेश के कार्यमुक्त नहीं करने के आदेश जारी किये थे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह छूट प्रदान की गई थी कि अपीलार्थी का नियमानुसार स्थानान्तरण करने हेतु प्रत्यर्थी विभाग स्वतंत्र है। प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 14.03.2024 के द्वारा अपीलार्थी का तहसील बस्सी कार्यालय में पदस्थापन किया गया था। जिसके विरुद्ध अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण के समक्ष अपील सं. 1469/2024 में चुनौती दी। परन्तु अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 27.03.2024 को आदेश दिनांक 14.03.2024 की पालना में तहसील कार्यालय बस्सी में कार्यग्रहण करने के कारण अपीलार्थी की अपील सं. 1469/2024 को अपीलार्थी ने निरर्थक करवाते हुए

अधिकरण द्वारा अपील खारिज कर दी गई है। इसलिए अपीलार्थी ने नये स्थानान्तरण आदेश की पालना में कार्यग्रहण कर लिया है। इसलिए अपीलार्थी की उक्त अपील निरर्थक हो चुकी है। अपीलार्थी की अपील को निरर्थक करते हुए स्थगन आदेश को अपास्त करते हुए अपील को खारिज की जावें

हमने विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 एवं प्रत्यर्थी विभाग की स्टे वेकेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा इस आशय से अपील प्रस्तुत की गई कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 को आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 द्वारा अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित कर दिया गया और अपीलार्थी का अन्यत्र पदस्थापन नहीं किया गया। इस कारण पद रिक्त नहीं होने से निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 का पदस्थापन आदेश गलत है और उस आदेश को अपास्त किया जावे एवं उसकी पालना में अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किया जावे। अधिकरण द्वारा पारित अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 11.03.2024 द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 22.02.2024 की पालना में अधिकरण के आगामी आदेश तक कार्यमुक्त नहीं किया जावे। प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी का नये सिरे से स्थानान्तरण करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसमें यह स्थगन आदेश बाधक नहीं होगा।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि अपीलार्थी दिनेश कुमार बैरवा का आदेश दिनांक 14.03.2024 द्वारा तहसील बस्सी कार्यालय में पदस्थापन किया गया था। जिसके विरुद्ध अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण के समक्ष अपील सं. 1469/2024 में चुनौती दी। परन्तु अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 27.03.2024 को आदेश दिनांक 14.03.2024 की पालना में तहसील कार्यालय बस्सी में कार्यग्रहण करने के कारण अपीलार्थी की अपील सं. 1469/2024 निरर्थक हो जाने से दिनांक 04.04.2024 को अधिकरण द्वारा अपील खारिज कर दी गई है। अतः हम पाते है कि इस अपील में अपीलार्थी द्वारा जिस आधार पर अपील प्रस्तुत की गई है, वो हेतुक वर्तमान में विद्यमान नहीं है और अपीलार्थी के संबंध में जारी पश्चातवर्ती आदेश दिनांक 14.03.2024 की पालना में अपीलार्थी द्वारा कार्यग्रहण किया जा चुका है। लिहाजा यह अपील सारहीन होने के आधार पर मय स्थगन प्रार्थना–पत्र खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य